**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 106**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**वैज्ञानिक दुर्घटना जांच दल का गठन किया जाना**

106. **डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में हुई घातक वाहन सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ये दुर्घटनाएं समुचित वैज्ञानिक दुर्घटना जांच, जिसका विकास किए जाने की जरूरत है, के अभाव में हो रही हैं; और

(घ) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं के कारणों को गंभीरतापूर्वक जानने और भावी दुर्घटनाओं से दक्षता से निपटने हेतु तैयार रहने के लिए वैज्ञानिक दुर्घटना जांच दल के गठन की आवश्यकता महसूस की है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) और (ख)**: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एशिया प्रशांत के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना के अनुसार 19 मदों में विकसित फॉर्मेट में करता है । वर्ष 2013 के लिए घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्‍या के राज्‍य-वार आंकड़े **अनुलग्‍नक-।** पर संलग्‍न हैं ।

**(ग):** सड़क दुर्घटनाएं कई घटकों के मेलजोल के कारण होती हैं । इनमें चालक की गलती, वाहनों में यांत्रिक दोष, पदयात्रियों की गलती, खराब सड़क, खराब मौसम, वाहन संख्‍या में वृद्धि, जनसंख्‍या में वृद्धि, बेमेल यातायात आदि सम्‍मिलित हैं । सड़क दुर्घटनाओं के लिए किसी एक कारक को जिम्‍मेवार ठहराना संभव नहीं होगा ।

**(घ):** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 135 के अंतर्गत, राज्‍य सरकार को मोटर वाहन दुर्घटनाओं के कारणों पर गहन अध्‍ययन करने और उनका विश्‍लेषण करने के लिए योजना बनाने हेतु सशक्‍त बनाया गया है ।

**अनुलग्‍नक**

**वैज्ञानिक दुर्घटना जांच दल का गठन किए जाने के संबंध में डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू द्वारा दिनांक 24.11.2014 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 106 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

वाहनों की श्रेणी और मुख्‍यत: जिम्‍मेदार कारणों के अनुसार भारत में घातक सड़क दुर्घटनाओं की श्रेणीगत संख्‍या

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | दुपहिया | आटो रिक्‍शा | कार,जीप,टैक्‍सी | बस | ट्रक, टैम्‍पो, एमएवी, ट्रैक्‍टर | अन्‍य मोटर वाहन | अन्‍य वाहन/वस्‍तुएं\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 2609 | 1301 | 1868 | 1,220 | 3917 | 1558 | 702 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 30 | 15 | 17 | 5 | 20 | 25 | 8 |
| 3 | असम | 498 | 59 | 491 | 196 | 516 | 333 | 69 |
| 4 | बिहार | 743 | 193 | 744 | 524 | 1637 | 356 | 415 |
| 5 | छत्‍तीसगढ़ | 781 | 28 | 416 | 181 | 894 | 638 | 121 |
| 6 | गोवा | 121 | 1 | 60 | 21 | 9 | 0 | 37 |
| 7 | गुजरात | 1559 | 486 | 998 | 299 | 1680 | 718 | 1,046 |
| 8 | हरियाणा | 289 | 125 | 888 | 309 | 1262 | 589 | 633 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 129 | 3 | 307 | 45 | 192 | 54 | 6 |
| 10 | जम्‍मू और कश्‍मीर | 197 | 8 | 115 | 87 | 164 | 232 | 6 |
| 11 | झारखंड | 576 | 93 | 313 | 191 | 745 | 137 | 370 |
| 12 | कर्नाटक | 2271 | 431 | 1382 | 891 | 2207 | 1349 | 339 |
| 13 | केरल | 985 | 261 | 1032 | 772 | 615 | 304 | 3 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 2034 | 146 | 1288 | 593 | 2553 | 860 | 91 |
| 15 | महाराष्‍ट्र | 3017 | 658 | 1868 | 445 | 2752 | 1643 | 953 |
| 16 | मणिपुर | 36 | 4 | 21 | 9 | 44 | 30 | 0 |
| 17 | मेघालय | 12 | 6 | 37 | 7 | 32 | 16 | 14 |
| 18 | मिजोरम | 20 | 0 | 9 | 2 | 23 | 23 | 0 |
| 19 | नगालैंड | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 20 | ओडिशा | 944 | 141 | 467 | 198 | 1207 | 344 | 180 |
| 21 | पंजाब | 1060 | 98 | 949 | 341 | 975 | 335 | 406 |
| 22 | राजस्‍थान | 1632 | 79 | 2106 | 689 | 2868 | 1405 | 6 |
| 23 | सिक्‍किम | 4 | 0 | 47 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 4327 | 386 | 3361 | 1,868 | 2266 | 1393 | 903 |
| 25 | त्रिपुरा | 43 | 22 | 52 | 11 | 42 | 36 | 13 |
| 26 | उत्‍तराखंड | 83 | 16 | 147 | 82 | 245 | 65 | 4 |
| 27 | उत्‍तर प्रदेश | 2146 | 328 | 2417 | 1,029 | 3721 | 1433 | 2,003 |
| 28 | पश्‍चिम बंगाल | 744 | 185 | 754 | 654 | 1822 | 533 | 385 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 7 | 0 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 10 | 0 | 55 | 5 | 18 | 26 | 0 |
| 31 | दादरा और नागर हवेली | 13 | 0 | 3 | 1 | 22 | 8 | 0 |
| 32 | दमन और दीव | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | दिल्‍ली \*\* | 159 | 17 | 275 | 147 | 419 | 55 | 706 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | पुदुच्‍चेरी | 82 | 8 | 28 | 38 | 43 | 24 | 0 |
|  | **कुल** | 27,179 | 5,108 | 22,537 | 10,867 | 32,933 | 14,546 | 9,419 |

नोट: दुपहिया में मोटर साइकिल, स्‍कूटर और मोपेड शामिल हैं ।

\*\*\*\*\*